

दिनांक:—23.12.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं, वकील प्रतिवादी को पक्षकारान की तलबी हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं। वाद वादी पूर्व में अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। वकील प्रतिवादी व प्रतिवादी स्वयं को 3 बार आवाजे लगायी गयी। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं। अतः काउन्टर कलेम प्रतिवादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।